

**न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-०४ /
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोण्डा।**

**सुरेश कुमार मौर्या बनाम मो० अनवर
अन्तिम रिपोर्ट सं०-८९ / २०२६**

मुकदमा अपराध सं०-११४ / २०२३,
धारा-१३८ भारतीय विद्युत अधिनियम,
थाना-एण्टीपावर थेफ्ट, जिला-गोण्डा

दिनांक:-१४.०३.२०२६

आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पत्रावली मुकदमा अपराध सं०-११४ / २०२३, अन्तर्गत धारा-१३८ भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना-एण्टीपावर थेफ्ट, जिला-गोण्डा में विवेचक द्वारा प्रेषित की गयी अन्तिम रिपोर्ट के निस्तारण हेतु पेश हुई।

वादी मुकदमा सुरेश कुमार मौर्या, अवर अभियन्ता, ३३/११ के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, झंझरी, गोण्डा को न्यायालय द्वारा प्रेषित सम्मन पर उनके द्वारा जरिये वीडियो कांफेन्सिंग उपस्थित होकर बयान देते हुए अन्तिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार कर मुकदमा उपरोक्त समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा सुरेश कुमार मौर्या, अवर अभियन्ता टीम द्वारा चेक किये जाने पर पाया गया कि अभियुक्त मो० अनवर पुत्र मो० यामीन अंसारी द्वारा बिना बकाया बिल जमा किये, पूर्व में विच्छेदित केबिल को बिना अनुमति के विच्छेदन संयोजन को जोड़कर विद्युत का अवैध रूप से उपयोग करते हुए पाये गये, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये अभियोग के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। केस डायरी में संलग्न समन शुल्क व राजस्व शुल्क रसीदों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत कार्यालय में अपना समन शुल्क व राजस्व निर्धारण जमा करा दिया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया गया है। अतः आपत्ति के अभाव में उपरोक्त मामले के तथ्यों के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट दिनांकित ०८.०१.२०२६ स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मुकदमा अपराध सं०-११४ / २०२३, अन्तर्गत धारा-१३८ भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना-एण्टीपावर थेफ्ट, जिला-गोण्डा में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सं०-८९ / २०२६ स्वीकार की जाती है। तदनुसार प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(दानिश हसनैन)

J.O. Code UP 2727

दिनांक-१४.०३.२०२६

**अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-०४ /
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोण्डा।**